बद्री बाई बनाम भारमल

प्रार्थना पत्र संख्या : 2020/00195

13.12.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 15.02.2018 को अपास्त करने एवं अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये जाने बाबत् अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील संख्या 13/277 अपीलान्ट भारमल ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में दिनांक 03.10.2013 को अपील पेश की । इसमें प्रतिवादी रूपचन्द पुत्र श्रवण जाति मीणा को सम्मन प्राप्त हुआ परन्तु प्रतिवादी रूपचन्द मीणा अपनी लम्बी हृदय सम्बन्धी बीमारी के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिसके लिए अपीलान्ट ने अलग से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है । मूल वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन में लम्बित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील में सुनवाई का मौका दिया जावे । प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । प्रार्थीगण ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.20 के वर्णित तथ्यों के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन द्वारा भारमल द्वारा पेश टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2013 को खारिज कर दिया क्योंकि उस समय तक ट्राईल कोर्ट के पास मात्र प्रभूलाल का जवाबदावा ही प्रस्तुत किया गया था । आगे प्रभूलाल अपने शपथ पत्र को पेश कर अपने बयान करवाता इससे पहले ही उसकी मौत हो गई । क्रेता रूपचन्द को ट्राईल कोर्ट का सम्मन भौतिक रूप से न मिलने के कारण वह भी ट्राईल कोर्ट के0 पाटन में उपस्थित नहीं हो सका । क्रेता रूपचन्द अपने हृदय सम्बन्धित बीमारी के इलाज के कारण माननीय राजस्व न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका । इस कारण एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । भारमल ने अपने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में आधार लिया है कि प्रभूलाल मीणा (जमीन का विक्रेता) 21 अप्रेल, 1987 को अपना आधा हिस्सा भारमल के पिता भंवर लाल को बेच चुका था, जबकि वास्तविकता यह है कि बेचान की कोई रजिस्ट्री नहीं है । 20/– रूपये के गैर न्यायिक पेपर पर विक्रय पत्र हाथ से लिखा है, इसमें खरीदने, बेचने वाले का नाम व हस्ताक्षर नहीं है । न ही विक्रय पत्र तहसीलदार के0 पाटन के यहॉ रजिस्टर्ड हुआ, जबकि 30000/– रूपये की कोई भी डीड विक्रय रजिस्टर्ड होनी चाहिए । प्रतिवादी प्रभूलाल ने दिनांक 02.04.2013 को अपने जवाबदावे में स्पष्ट लिखा है कि प्रतिवादी के पिता के जीवनकाल में जमीन आधी–आधी दोनों भाईयों भंवर लाल एवं प्रभूलाल के नाम चढ गई थी जिस पर प्रभूलाल 40–42 वर्षों से बतौर काश्तकार काबिज था ।

नकल जमाबन्दी 30 नवम्बर 2021 के अनुसार दिनांक 15.06.2009 को प्रभूलाल की जमीन रहन मुझे थी । पैसों की जरूरत के कारण प्रभूलाल ने अपने हिस्से की पूरी जमीन को रूपचन्द मीणा को बेचान कर दिनांक 09.11.2011 को उपपंजीयक के0 पाटन के यहॉ पंजीयन करवा दिया । विक्रेता प्रभूलाल के सम्पूर्ण काश्तकारी अधिकार दिनांक 09.11.2011 के बाद रूपचन्द मीणा को ट्रान्सफर हो गये । भारमल द्वारा ट्राईल कोर्ट में पेश किया गया विक्रय पत्र संदेह के दायरे में है, क्योंकि उसकी मूल कॉपी कोर्ट में पेश नही की है । प्रभूलाल एक अनपढ व्यक्ति था जो हस्ताक्षर नहीं करके अंगूठा लगाता था । ट्राईल कोर्ट में अभी क्रेता रूपचन्द के बयान, शपथ–पत्र पर नहीं हुए हैं । अतः ऐसी स्थिति में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भारमल मीणा के पक्ष में दिया गया एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा निम्न दृष्टांतों के अन्तर्गत देखते हुए सेट–असाईट करने योग्य है । अस्थायी व्यादेश जारी करने की विचारण न्यायालय की एक महत्वपूर्ण शक्ति है । समान्यतः अपीलीय न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता । अपीलीय न्यायालय इस आधार पर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि मामले में प्रथक राय भी निर्मित की जा सकती है। एआईआर 2010 (एससी) पेज 3221, एआईआर 2012 (एससी) पेज 1727 अस्थायी व्यादेश जारी करते समय तीनों सिद्धान्तों का ख्याल रखना चाहिए (ए) प्रथम दृष्टया मामला, (बी) सुविधा का संतुलन एवं, (सी) अपूरणीय क्षति इन तीनों सिद्धान्तों में से किसी एक की पूर्ति नहीं होती है तो अस्थायी व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए । सुविधा के संतुलन के अभाव में ऐसा व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता । एआईआर 1988 (इलाहवाद) पेज 154 । यदि कोई व्यक्ति सही तथ्यों को छिपाकर एकपक्षीय व्यादेश प्राप्त कर लेता है तो वह निरस्त कर दिया जाना चाहिए । एआईआर 2000 (दिल्ली) पेज 228 । यदि कोई व्यक्ति सही तथ्यों को छिपाकर एकपक्षीय व्यादेश प्राप्त कर लेता है तो वह निरस्त कर दिया जाना चाहिए । न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में भारमल अपंजीकृत विक्रय पत्र से क्रेता का कब्जा छीनकर उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त कब्जे से बेदखल करने हेतु सही तथ्यों को छिपा कर एकपक्षीय व्यादेश प्राप्त कर चुका है जिसके फलस्वरूप विचाराधीन प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी क्रेता रूपचन्द के पक्ष में है तथा रूपचन्द को ही अपूरणीय क्षति हो रही है । अतः भारमल के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे तथा पत्रावली ट्राईल कोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन को रिमाण्ड की जावे कि ट्राईल कोर्ट प्रार्थी के बयानों को रिकॉर्ड करवा के प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेवे एवं क्रेता को न्याय मिल सके । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट रूपचन्द को सुनवाई का मौका दिया जावे एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 को निरस्त किया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2010 (एससी) पेज 3221, एआईआर 2012 (एससी) पेज 1727, एआईआर 2000 (दिल्ली) पेज 228 उद्वरत की ।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण को विधिवत सम्मन तामील करवाये थे, बावजूद सूचना के प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौता हो गया था । पारिवारिक समझौता दिनांक 02.11.2011 को

हुआ था जिसमें कुए की भूमि खसरा नम्बर 154, 155 व 157 अपीलान्ट के हिस्से व खाते में है जिसे रेस्पोडेन्ट ने स्वीकार किया है । वादग्रस्त आराजी पर काबिज व्यक्ति भारमल के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय कब्जे का बिन्दु सबसे महत्वपूर्ण होता है । दौराने वाद प्रार्थी उक्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द कर सकते हैं । यदि प्रार्थी इस निर्णय से अप्रसन्न हैं तो उन्हें इसकी अपील करनी चाहिए । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 2004 (एससी) पेज 4130, आरआरडी 2000 पेज 427, आरआरडी 2003 पेज 20, आरआरडी 1987 पेज 426, आरआरडी 1996 पेज 28, 90, 565, डीएनजे 2013 (4) एससी पेज 948, आरआरडी 1996 पेज 148, एआईआर 2007 पेज 73, आरएलडब्ल्यू 1999 (2) पेज 292, एआईआर 1993 (बोम्बे) पेज 134, डीएनजे 2019 (एससी) पेज 907 उद्धरत की ।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि, "न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन द्वारा भारमल द्वारा पेश टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2013 को खारिज कर दिया क्योंकि उस समय तक ट्राईल कोर्ट के पास मात्र प्रभूलाल का जवाबदावा ही प्रस्तुत किया गया था । आगे प्रभूलाल अपने शपथ पत्र को पेश कर अपने बयान करवाता इससे पहले ही उसकी मौत हो गई । केता रूपचन्द को ट्राईल कोर्ट का सम्मन भौतिक रूप से न मिलने के कारण वह भी ट्राईल कोर्ट के0 पाटन में उपस्थित नहीं हो सका । केता रूपचन्द अपने ह्रदय सम्बन्धित बीमारी के इलाज के कारण माननीय राजस्व न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका । इस कारण एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । यदि कोई व्यक्ति सही तथ्यों को छिपाकर एकपक्षीय व्यादेश प्राप्त कर लेता है तो वह निरस्त कर दिया जाना चाहिए ।" हमारे द्वारा प्रकरण को मुख्यतः आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के प्रकाश में अवलोकन कर निर्णय करना है । सीपीसी के आदेश 09 नियम 13 इस प्रकार से है, "प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना – किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहॉ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहॉ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा : परन्तु जहॉ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहॉ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरूद्ध भी अपास्त की जा सकेगी : (परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की

तारीख की सूचना थी और उपस्थित होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी ।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.04.2014 व सम्मन का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि रूपचन्द को तामील हो गई थी । प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 03 में स्वयं अपीलान्ट ने अंकित किया है कि प्रतिवादी रूपचन्द पुत्र श्रवण जाति मीणा को सम्मन प्राप्त हुआ । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की आदेशिका दिनांक 10.04.2014 से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 को सम्मन तामील हो गए थे । प्रकरण में दिनांक 10.02.2018 को निर्णय हुआ तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2020 को पेश हुआ । बीमारी सम्बन्धी चिकित्सकीय दस्तावेज भी सितम्बर, 20[illegible] व उसके पश्चात के हैं। तामील के पश्चात् प्रार्थी को सम्पूर्ण प्रकरण की समय पर जानकारी हो गई थी । जानकारी के पश्चात् निर्णय होने तक लगभग 03 वर्ष 10 माह तक वे न्यायालय में क्यों उपस्थित नहीं हुए इसका कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया । पत्रावली में संलग्न परीक्षण न्यायालय की आदेशिका की सत्यप्रतिलिपि में दिनांक 05.06.2012 को प्रतिवादी संख्या 03 स्वयं हाजिर का अंकन है । प्रार्थी को पर्याप्त समय पर सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी थी तब भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । यह प्रार्थी की उदासीनता व लापरवाही है । प्रकरण में मूल वाद अभी विचारण न्यायालय में लम्बित है । मूल वाद में सभी पक्षकारों के हक, अधिकारों का निर्धारण होना है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी एवं धारा 114 स्वीकार योग्य नहीं है । तदनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व धारा 114 सीपीसी खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2018 के विरूद्ध प्रार्थी माननीय राजस्व मण्डल में अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा